



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :- 19/2024

जी.सी.एग.एस. नंबर :- 2024/255

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 ईश्वर पुत्र रूपाराम, जाति-घांची,
निवासी-डुंगरा का गोलिया सांचौर
तहसील-सांचौर, जिला-जालोर

1 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर
2 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. हाल एस.
बी.आई. बैंक सांचौर, तहसील-सांचौर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

तारीख रज :- 28.11.2024

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 28.03.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा डुंगरा का गोलिया में खेत खसरा संख्या 3865/39 रकबा 1.71 हैक्टेयर बारानी दायम का आया हुआ है जो प्रार्थी के खातेदारी का खेत है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना-पत्र के साथ पेश है। उक्त खेत में प्रार्थी ईश्वर का नाम भूलवंश ईसराराम उर्फ ईश्वर लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम हमैशा से ही ईश्वर ही है प्रार्थी के नाम से बने मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में ईश्वर ही दर्ज है। मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि की प्रतिया प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी का नाम ईश्वर ही है लेकिन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते समय भूल से ईश्वर न लिखकर ईसराराम उर्फ ईश्वर लिखा है जो एक लिपिकीय त्रुटि होकर मानवीय भूल है जिसको सुधार करने का श्रीमान को पर्याप्त अधिकार है। प्रार्थी के नाम का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं राशन कार्ड में ईश्वर दर्ज है लेकिन राजस्व रेकर्ड में ईसराराम उर्फ ईश्वर होने से प्रार्थी को ब्याज लेने, बिगोड़ी अदा करने, मुआवजा लेने या सरकारी कार्य की अन्य लेन देन करते समय रूकावट पैदा होती है ऐसी सुरत में उक्त भूल सुधारनी न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि श्रीमान प्रार्थी के ग्राम डुंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर में खेत खसरा संख्या 3865/39 रकबा 1.71 हैक्टेयर बारानी दायम का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी का नाम ईसराराम उर्फ ईश्वर पुत्र रूपाराम से दुरुस्त कर ईश्वर पुत्र रूपाराम लिखे जाने का आदेश तहसीलदार सांचौर को आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।



(Pm)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)



हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा डुंगरा का गोलिया के खेत खसरा संख्या 3865/39 रकबा 1.71 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम भूलवंश ईसराराम उर्फ ईश्वर लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम हमेशा से ही ईश्वर ही है प्रार्थी के नाम से बने मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में ईश्वर ही दर्ज है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त खसरा नंबर में प्रार्थी का नाम ईसराराम उर्फ ईश्वर पुत्र रूपाराम से दुरुस्त कर ईश्वर पुत्र रूपाराम लिखे जाने का आदेश फरमावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई श्रम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, परिवार जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पास बुक जालोर कोऑपरेटिव बैंक एवं पेन कार्ड का अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का नाम ईसराराम पुत्र ईश्वर की बजाय ईश्वर पुत्र रूपाराम बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:- आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा डुंगरा का गोलिया के खेत खसरा संख्या 3865/39 रकबा 1.71 हैक्टेयर में दर्ज प्रार्थी का नाम ईसराराम उर्फ ईश्वर पुत्र रूपाराम की बजाय ईश्वर पुत्र रूपाराम के नाम की राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

(उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांचौर)

(उपखण्ड सांचौरारी, सांचौर)